रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082024-256650
CG-DL-E-27082024-256650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3274] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946
No. 3274] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

का.आ. 3591(अ).—केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य, ओडिशा के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्या का.आ. 2906(अ), तारीख 9 सितंबर, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2906(अ), तारीख 9 सितंबर, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्या का.आ. 2906(अ), तारीख 9 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**5. मानीटरी समिति--**(1) केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी एक मानीटरी समिति का गठन करती है, अर्थात् :—

(i)	कलेक्टर, कुर्दा	अध्यक्ष, पदेन ;
(ii)	कलेक्टर, कटक का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(iii)	पुलिस अधीक्षक, खुर्दा का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(iv)	पुलिस उपायुक्त, कटक का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(v)	प्रभागीय वन अधिकारी, खुर्दा	सदस्य, पदेन ;
(vi)	वन और पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(vii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में ओडिशा सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ	सदस्य ;
(viii)	ओडिशा सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य ;
(ix)	प्रादेशिक अधिकारी, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भुवनेश्वर	सदस्य, पदेन ;
(x)	खान विभाग, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(xi)	शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(xii)	पर्यटन विभाग, ओडिशा सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन ;
(xiii)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, पदेन ;
(xiv)	चांदका दंपारा वन्यजीव अभयारण्य का भारसाधक प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य-सचिव, पदेन ;

(2) मानीटरी समिति, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1533(अ), तारीख 14 सितंबर 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, आने वाले और उस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के सिवाय, उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संबद्ध उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियालापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संलग्न **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, उस वर्ष की 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(7) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।

[फा. सं. 25/21/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण 1: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 2960(अ), तारीख 9 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

टिप्पण 2: यह स्पष्ट किया जाता है कि 9 सितंबर, 2016, के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2906 (अ), के तहत प्रकाशित अंतिम अधिसूचना (हिंदी संस्करण) और अंतिम अधिसूचना (अंग्रेजी संस्करण) के अनूदित पाठ के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, दिनांक 9 सितंबर, 2016 के का.आ. 2906(अ), के तहत प्रकाशित अंग्रेजी संस्करण में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

S.O. 3591(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary, Odisha in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.2906(E), dated the 9th September, 2016;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under chance (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O.2906(E), dated the 9th September, 2016;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.2906(E), dated the 9th September, 2016, namely;

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"5. **Monitoring Committee**.—(1) The Central Government hereby constitute a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:—

(i)	The Collector, Kurda	Chairman, *ex officio*;
(ii)	A Representative of Collector, Cuttack	Member, *ex officio*;
(iii)	A Representative of Superintendent of Police, Khurda	Member, *ex officio*;
(iv)	A Representative of Deputy Commissioner of Police, Cuttack	Member, *ex officio*;
(v)	Divisional Forest Officer, Khurda	Member, *ex officio*;
(vi)	A representative of the Department of Forests and Environment, Government of Odisha	Member, *ex officio*;
(vii)	An expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the Government of Odisha from time to time every three years.	Member,
(viii)	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Odisha from time to time every three years.	Member,
(ix)	Regional Officer, Odisha State Pollution Control Board, Bhubaneshwar	Member, *ex officio*;
(x)	Representative of Department of Mines, Government of Odisha	Member, *ex officio*;
(xi)	Representative of Department of Urban Development, Government of Odisha	Member, *ex officio*;
(xii)	Representative of Department of Tourism, Government of Odisha	Member, *ex officio*;
(xiii)	Member of State Biodiversity Board	Member, *ex officio*;
(xiv)	The Divisional Forest Officer, In charge of Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary	Member Secretary *ex officio*."

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

IndiaCode

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-IV**.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/21/2014-ESZ/RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note 1: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2906(E), dated the 9th September, 2016.

Note 2: It is clarified that in case of any discrepancy between the translated version of final notification (Hindi version) and final notification (English version) published *vide* notification number 2906(E), dated the 9th September, 2016, in the official gazette dated 9th September, 2016, the provisions contained in the English version, published *vide* S.O. 2906(E), dated the 9th September, 2016 shall prevail.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA